डॉ0 यशवन्त सिंह परमार औद्यानिकी एवम् वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी–सोलन (हि0प्र0)

औद्यानिकी प्रौद्योगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (स्वरोजगार) 2020-21

प्रवेश सूचना

हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों से एक वर्षीय औद्यानिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (स्वरोजगार) के लिए साधारण कागज पर आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं जो इस विश्वविद्यालय के महाविद्यालय (नेरी), क्षेत्रीय औद्यानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्रों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों में 04.01.2021 से आरम्भ होगें। प्रवेश हेतू आवेदन पत्र साधारण कागज पर सम्बन्धित अधिष्ठाता/सह–निदेशक/प्रभारी के कार्यालय में 01.12.2020 तक पहुंचने चाहिए। साक्षात्कार 15.12.2020 को प्रातः 10.30 बजे निम्न अधिष्ठाता/सह–निदेशक/प्रभारी के कार्यालय में होंगे। 15 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति, 7 ½ प्रतिशत अनुसूचित जनजाति तथा 15 प्रतिशत पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे।

कम संख्या	प्रभारी का नाम व प्रशिक्षण का स्थान	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	जिले जहां से प्रशिक्षणार्थी आवेदन कर सकते है।
1.	अधिष्ठाता, औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, नेरी (हमीरपुर)	20	हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर
2.	सह–निदेशक (अनुसंधान एवं विस्तार), क्षेत्रीय औद्यानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, जाच्छ (कांगड़ा)	20	कांगड़ा
3.	सह–निदेशक (अनुसंधान एवं विस्तार), क्षेत्रीय औद्यानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बजौरा (कुल्लू)	20	कुल्लू, मण्डी और लाहौल
4.	सह–निदेशक (अनुसंधान एवं विस्तार), क्षेत्रीय औद्यानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, शारबो (किन्नौर)	20	किन्नौर व स्पिती
5.	सह–निदेशक (अनुसंधान एवं विस्तार), क्षेत्रीय औद्यानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, मशोबरा(शिमला)	20	शिमला, सोलन व सिरमौर जिले की राजगढ़ व सरांह (पच्छाद) तहसील
6.	सह–निदेशक (अनुसंधान एवं विस्तार), क्षेत्रीय औद्यानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, धौलाकुआं (सिरमौर)	15	सिरमौर तथा सोलन जिले की नालागढ़ तहसील
7.	प्रधान वैज्ञानिक एवं विभागाद्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, चम्बा (सरु)	15	चम्बा

उम्मीदवार ने कम से कम दसवीं या समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, आयु 17 से 30 वर्ष के बीच हो तथा फल, सब्जी, फूल, खुम्ब उत्पादन व मौन पालन को अपना व्यवसाय बनाना चाहता हो तथा कृषक परिवार से सम्बन्ध रखता हो। जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित हो, अपना सत्यापित प्रमाण पत्र जो कम से कम कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वारा प्रमाणित हो तथा अपना हिमाचली प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें। कार्यरत उम्मीदवारों के अलावा अन्य सभी उम्मीदवारों से घोषणा पत्र लिया जाएगा कि वे इसे स्वरोजगार के रूप मे अपनाएंगे। साक्षात्कार के समय उम्मीदवार को समस्त मूल प्रमाण पत्र तथा एक–एक प्रतिलिपि साथ लानी होगी। साक्षात्कार के विषय में अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा। ठहरने व रहने की जिम्मेवारी स्वंय विद्यार्थी की होगी।

निदेशक
विस्तार शिक्षा निदेशालय